पश्चिम मध्य रेलवे

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I)
द्वितीय तल. डी०आर०एम० ऑफिस
पश्चिम मध्य रेलवे. जबलपुर
दिनांक: 18/03/2019

पत्र कमांक :- डिप्टी डी ओ/700
प्रति,

कलेक्टर एंव अध्यक्ष
जिला स्तरीय समिति
जिला - शहडोल म०प्र०

विषय– कटनी - सिंगरौली रेल लाईन दोहरीकरण परियोजना के निर्माण कार्य में होने वाली वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अधिनियम 2006 के नियम - 2008 के तहत् जिला स्तरीय समिती से सहमति प्रमाण पत्र प्रदान करने वावत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कटनी - सिंगरौली रेल लाईन दोहरीकरण योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें शहडोल जिले के गोदांवल एवम ब्योहारी वन परिक्षेत्र के कुछ भाग पर संरक्षित व आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि का व्यपवर्तन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत किया जाना है। वन भूमि निम्नानुसार है:–

जिला	वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	ग्राम पंचायत	कक्ष क.	प्रभावित रकवा (हे में)	प्रभावित कुल रकवा (हे में)
शहडोल	शहडोल साउथ (टी)	गोंदावल	कोठिया	PF 209	0.6952	0.6952
			पथेरहटा	PF 196	0.4285	0.4285
			छतैनी	PF 201 RF 193 RF 195 RF 199	2.0137 18.6509 2.8939 10.1821	2.0137 18.6509 2.8939 10.1821
		प० ब्योहारी	पपोढ	PF 141 PF 142	2.9649 4.4226	2.9649 4.4226
		पूर्व ब्योहारी	नौढिया	RF 166 RF 167 RF 168 RF 169	8.0453 5.0703 9.2774 2.0500	8.0453 5.0703 9.2774 2.0500
					कुल रकवा	66.6948

अतः निवेदन है कि उक्त वन भूमि में विस्थापित होने वाली आदिम जाती जनजाति के संबंध में वन अधिकार अधिनियम -2008 के तहत् प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कृपा करें। ताकि विषयांतर्गत परियोजना हेतु वांछित वन भूमि की व्यपवर्तन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए परियोजना कार्य को अविलंब पूर्ण किया जा सके।

संलग्न:- ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I)
पश्चिम मध्य रेलवे,जबलपुर
दिनांक ....

पृ०क०–

प्रतिलीपि-

1) वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उत्तर की ओर सादर सुचनार्थ।
2) आयुक्त महोदयआदिवासी विकास की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3) मुख्य अभियंता (निर्माण–I) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर को सादर सुचनार्थ।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-I)
पश्चिम मध्य रेलवेजबलपुर

O/C

आदिवासी विकास शहडोल
26/3/19

26.3.19
आवक शाखा
कार्यालय कलेक्टर
शहडोल (म.प्र.)

वनमण्डलाधिकारी
26-3-19